

# न्यूज लेटर सेतु

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन  
द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित



नितम्ब - 2019 • अंक : 16



## बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा

### निदेशक की कलम से ...



#### संस्करण के मुख्य बिंदु

- बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा को समझना
- जोखिम संबंधी कारण
- चिन्ह और परिणाम
- दुर्व्यवहार और उपेक्षा की रोकथाम
- एकल अध्ययन (केस स्टडी)
- समाचार सार
- तीन माह की गतिविधियाँ

अपने प्रारंभिक वर्षों में संवेदनशील होने के कारण बच्चों के शोषण, दमन एवं उत्पीड़न की सम्भावना हर जगह एवं हर स्तर पर हो सकती है। बाहर के परिवेश में स्थित विभिन्न संस्थानों में उनके लिए अनेक जोखिम एवं खतरे की स्थितियाँ तो होती ही हैं पर साथ में वे परिवार में भी दुर्व्यवहार, उपेक्षा एवं दुराचार की संभावनाओं का सामना कर सकते हैं। बच्चों की उपेक्षा परिवार में प्रारम्भ होती है और यह तब होती है जब उनकी बुनियादी आवश्यकताएँ संतुष्ट नहीं हो पाती अथवा विभिन्न अन्तः क्रियाओं एवं निर्णय प्रक्रियाओं में उनकी सहभागिता को नकारा जाता है। माता-पिता/अभिभावकों एवं बच्चों में विद्यमान संबंधों में जुड़ाव/आत्मीयता की कमी के कारण अनेक किस्म के अनावश्यक एवं अनुचित भ्रम उत्पन्न होते हैं। परिणामस्वरूप, बच्चे अनेक ग़लत अर्थ लगाने लगते हैं। कुछ अन्य स्थितियों में बच्चा परिवार, पड़ोस एवं अन्य 'स्पसेज', जो उसके अपने हैं, में उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार का शिकार होता है। अबोध अथवा मासूम होने के कारण वह दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा सम्बन्धी व्यवहारों एवं उनसे सम्बंधित कारणों एवं परिणामों को खुद समझने में एवं अन्य को समझा पाने में असमर्थ होता है। इन सभी स्थितियों के कारण उसके व्यक्तित्व का विकास कमजोर एवं विचलनशील प्रकृति का हो सकता है साथ ही आक्रामक मनोविज्ञान एवं सामाजिक-सांस्कृतिक कुसमायोजन उसके व्यक्तित्व का भाग बन सकते हैं।

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन बच्चों से संबंधित मुद्दों, विशेषकर बाल-दुर्व्यवहार और उपेक्षा का विश्लेषण करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा को जारी रखा जाता है, तो उस समाज में विचलन की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है जो भविष्य में उस समाज में अपराधिक व्यवहार में परिलक्षित होकर और अधिक जटिलताएँ पैदा कर सकती है। वास्तव में, बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा के कारण ही एक सीमा तक आपराधिक व्यवहार किया जाता है। इसलिए समाज के आधार मूल्यों जैसे शांति, अहिंसा और सद्भाव बनाए रखने के लिए बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा को कम करने या समाप्त करने के लिए रणनीतियों का एक प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता है। भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों में बच्चों को देवत्व का प्रतिनिधि माना गया है। इस प्रकार से एक हद तक किसी बच्चे के साथ शोषण/दुर्व्यवहार व उपेक्षा करना, देवत्व और भारतीय दार्शनिक परम्पराओं के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा करने जैसा है जो कि स्वीकार्य नहीं है। इसलिये, इस संदर्भ में पुलिस को संवेदनशील बनाने व बाल शोषण/दुर्व्यवहार और उपेक्षा के मामलों को नियंत्रित करना आज के समय की जरूरत बन गई है। इस क्षेत्र में आवश्यक है कि भारत सहित प्रत्येक राष्ट्र-राज्य के सभी समूह/भाग बहुआयामी दृष्टि व प्रयासों को निर्मित करें एवं उसे आगे बढ़ाएं।

'सेतु' पत्रिका का यह संस्करण बाल दुर्व्यवहार की अवधारणात्मक विवेचना, सामाजिक एवं विधिक दृष्टि से एक गंभीर विचलन के रूप में इसकी स्वीकृति, सम्बंधित जोखिम, परिणामों एवं इसके

रोकथाम के मुद्दों पर केन्द्रित है। यह संस्करण पाठकों के सम्मुख उन सफल कार्यवाहियों एवं प्रयासों का उल्लेख भी करता है जिनके अन्तर्गत इन संवेदनशील एवं जटिल मुद्दों को हल किया गया है। हम आशा करते हैं कि इस तरह के प्रयासों के माध्यम से हम सामूहिकता से समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी सुधारों का मार्ग-प्रशस्त करने में सक्षम होंगे। अगर समाज और राज्य सामूहिक प्रयास करें तो बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा को कम किया जा सकता है, यही राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

राजीव शर्मा (आईपीएस)

निदेशक, सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, जयपुर।

📍 : सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, अटेलार्ड कैम्पस, अनन्दान पटेल पुलिस, अनुसूचा व दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जयपुर

## बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा को समझना

बाल दुर्व्यवहार एवं शोषण का अर्थ बच्चों के साथ व्यवहार और मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से किया गया दुर्व्यवहार है। बाल उपेक्षा का तात्पर्य वर्तमान परिवेश में उपस्थित कर्ताओं/व्यक्तियों द्वारा बच्चों की आवाज़ एवं उनके विचार, भावनाओं एवं प्रतिक्रियाओं को महत्व न दिए जाने से है। कभी-कभी बच्चा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर, जानबूझकर की जाने वाली उपेक्षा की घटना को महसूस करने लगता है। सब से पहले यह जानना और समझना आवश्यक है, कि बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं है। ये शोषण एवं दुर्व्यवहार के रूप हैं जो कि मनोवैज्ञानिक व सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। जैसे दुर्व्यवहार शारीरिक और भावनात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, वैसे ही उपेक्षा भी दोनों प्रकार की हो सकती है। शारीरिक उपेक्षा का तात्पर्य है बच्चे को भोजन, कपड़े, आवास और अन्य मूलभूत जरूरतों से वंचित रखना। भावनात्मक दुर्व्यवहार बच्चे को प्यार, स्नेह, देखभाल, सुरक्षा और माता-पिता व बच्चों के परस्पर संबंधों से वंचित किये जाने से जुड़ा हुआ है। बच्चों को समय पर उचित मूलभूत सुविधाएं जैसे कि भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं तो यह उपेक्षा कहीं अधिक व्यापक हो जाती है। यह माता-पिता दोनों या किसी एक की विफलता के परिणामस्वरूप होता है। एकदम सटीक कहा जाये तो किसी भी क्रिया की प्रतिबद्धता अथवा किसी क्रिया पर प्रत्योत्तर की विफलता में किये जाने वाले कार्यों का परिणाम भी बच्चों के साथ शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के रूप में होता है। बच्चों को किसी प्रकार से हानि पहुंचाना या हानि का खतरा पैदा करना बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा की श्रेणी में आता है। बच्चों का परित्याग, बाल तस्करी और माता-पिता द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन के बाद बच्चों से किया जाने वाला व्यवहार भी बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा में शामिल है। अभिभावकों की ओर से बच्चों के लिए कठोर शब्दों का उपयोग, अभिभावकों द्वारा शिक्षकों को बच्चों के साथ सख्त शारीरिक व्यवहार करने को कहना, बच्चों को बोझ समझना, प्यार और स्नेह का अभाव आदि भी इसकी अवधारणा में शामिल हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण संकेतक हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम घरेलू स्तर पर बच्चों के साथ शोषण/दुर्व्यवहार न हो।

## दुर्व्यवहार और उपेक्षा से जुड़े जोखिमों के कारक

बाल दुर्व्यवहार बड़े स्तर पर संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है लेकिन बाल उपेक्षा का जहां तक संबंध है, यह मनोवैज्ञानिक-सांस्कृतिक और समूह विशेष पर आधारित है। हालांकि, दुर्व्यवहार और उपेक्षा की घटनाएं अधिकांशतः घरों में ही होती हैं। यह परिवार में ही प्रारंभ होती है जहां पर बच्चों पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया जाता है और उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, उनको कोई सुनना नहीं है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। साथ ही साथ उनकी शारीरिक और मानसिक उपेक्षा की जाती है। कभी-कभी उनके द्वारा उचित व्यवहार पालन न करने पर उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है या दंडित किया जाता है। ऐसे बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा का, बच्चों के जीवन पर शारीरिक प्रभाव की तुलना में गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इस तरह की मानसिक चोटों के निशान उनके जीवन में लम्बे समय तक रहते हैं, जब तक कि वे व्यस्क नहीं हो जाते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख कारक बच्चों के माता-पिता का बचपन में शोषण होना, माता-पिता का अस्वस्थ मानसिक स्थिति में होना या घरेलू हिंसा हैं।

## बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा के चिन्ह और परिणाम

बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है या उनकी उपेक्षा हुई है इसे पहचानना काफी मुश्किल है। कई बार बच्चे के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के कोई शारीरिक और भावनात्मक संकेत नहीं होते हैं। जब ऐसा व्यवहार बच्चों के साथ कम उम्र में ही होने लगता है, तो उन्हें इसकी आदत हो जाती है और वे अक्सर इसे एक सामान्य व्यवहार मानकर उसके अनुकूल हो जाते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वे एक भेद्यता के दौर से गुजर रहे हैं जहां पर वे न केवल मूल अधिकारों से वंचित हो रहे हैं बल्कि शारीरिक-मनोवैज्ञानिक रूप से प्रहार के शिकार भी हो रहे हैं। चूंकि इस तरह की भेद्यता में बच्चा अपने ही परिवार के माध्यम से आता है, इन मामलों को, स्वयं बच्चे या उसके माता-पिता द्वारा या परिवार के किसी अन्य सदस्य के द्वारा दबा दिया जाता है। फिर भी कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो दर्शाते हैं कि बच्चा संकट या आघात की स्थिति में है। इन चिन्हों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है -

## शारीरिक चिन्ह

- शरीर के किसी भी हिस्से पर बड़ी या छोटी चोट
- शरीर पर अस्पष्ट निशान
- शरीर का वजन असामान्य रूप से बढ़ना या कम होना और
- यौन संचारित बीमारियां

## व्यवहार से जुड़े चिन्ह

- शौच संबंधी प्रशिक्षण के बावजूद बिस्तर गीला करना
- स्कूल में अनुपस्थित रहना
- स्कूल में मन न लगना या खराब ग्रेड
- लोगों और स्थानों को नापसंद करना
- स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना
- अचानक भावनात्मक ज्वार का फूटना
- बुरे सपने या असामान्य किस्म का भय
- कुछ मामलों में भय, चिंता, अवसाद या आत्महत्या की प्रवृत्ति दिख सकती है
- आत्मविश्वास की कमी और
- समाज से दूर रहना (विरक्ति)

बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उपेक्षा की समझ सिर्फ उपर्युक्त लक्षणों और परिणामों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा भी संभव है कि बच्चा इनमें से किसी भी लक्षण को बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करता हो, लेकिन फिर भी पीड़ित हो सकता है। ऐसे मामलों में बच्चे सिर्फ उन लोगों के साथ अपने अनुभवों को साझा कर पाते हैं जिन पर पूरी तरह से उन्हें विश्वास होता है।

**दुर्व्यवहार के परिणाम :** दुर्व्यवहार के परिणाम अल्पकालिक होने के साथ-साथ दीर्घकालिक भी होते हैं। अल्पकालिक परिणाम अक्सर अस्थायी रूप से व्यवहार में सामने आते हैं और कुछ समय में दूर भी हो जाते हैं। जबकि दीर्घकालिक परिणाम बच्चों के स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बच्चों पर होने वाले बचपन के आघातों के ये प्रभाव, आजीवन भी रह सकते हैं। शोषण से प्रभावित बच्चे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास में कठिनाई महसूस करते हैं। उनमें भावनात्मक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं जिसके कारण शोषण से पीड़ित बच्चों के आसपास के लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा के परिणामस्वरूप चिंता, तनाव, भावनात्मक जुड़ाव का अभाव, अवसाद आदि मनोवैज्ञानिक विचलन के संभावित कारक हैं। बच्चे मासूम होते हैं व अपने माता-पिता की भूमिका निभाते हैं, जिस प्रकार वे बोलते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसी परिस्थिति से सामना करने का तरीका, किसी स्थिति में उनके प्रतिक्रिया, आदि की नकल करते हैं। इसलिए बच्चे जीवन के प्रारंभिक समय में सहे गए आघातों और चिंताओं को बाद में 'अनुभव' किये गए व्यवहार के रूप में दोहराते हैं।

## बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा की रोकथाम

बच्चों के साथ शोषण/दुर्व्यवहार व उपेक्षा, बच्चों के स्वस्थ शारीरिक एवं भावनात्मक विकास की बाधा में बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। बच्चों का जीवन उनके निजी अनुभवों और घरेलू परिवेश के आधार पर ढलता है। ये मुद्दे न केवल इनसे प्रभावित बच्चों के लिये, बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। हालांकि निम्नलिखित रणनीतियों द्वारा इन्हें रोका जा सकता है -

- मजबूत कानून बनाना और उसे लागू करना
- अभिभावकों के लिये व्यवहारगत प्रशिक्षण कार्यक्रम

- अभिभावकों को विद्यालय स्तर पर शामिल करना
- प्रभावी चिकित्सा देखभाल
- माता-पिता की काउंसलिंग
- समाज में बच्चों को मिलने वाले अवसरों में बढ़ोत्तरी
- अभिभावकों और उपेक्षित बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना
- बच्चों के पास शिक्षा, आवास, कपड़े, भोजन और चिकित्सा सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना
- मादक द्रव्यों का सेवन और गरीबी जैसी सामाजिक समस्याओं के निवारण के प्रयास करना
- बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा, इसके कारण व नकारात्मक प्रभावों से संबंधित जन-शिक्षण करना
- माता-पिता के लिए सहयोगी तंत्र का विकास करना ताकि उन्हें काउंसलिंग और पुनर्वास सहायता प्रदान की जा सके।

### जब एक बच्चा दुर्व्यवहार के बारे में बात करता है तो :-

- उसकी बात ध्यान से सुनें
- बच्चे को बीच में न टोकें
- सहानुभूति रखें और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करें
- उन्हें बताएं कि यह उनकी गलती नहीं है
- उन्हें यह आश्वासन दें कि आप उनका साथ देंगे और मदद करेंगे
- किसी भी चीज़ के लिए उन्हें दोष न दें
- घटना की सूचना दें

### केस स्टडी

“शेफाली\* की उम्र 14 वर्ष थी। उसके माता-पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। वह अपने इलाके की एक महिला के साथ रहती थी जिसे वह मौसी कहती थी। उसी इलाके में एक रघु\* नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र 22 साल थी। वह शेफाली को अच्छी तरह से जानता था। एक दिन शेफाली की मौसी कहीं बाहर गई हुई थी। रघु को पता चला कि शेफाली घर पर अकेली है। वह उसके घर आया और उससे बलात्कार किया जिससे वह गर्भवती हो गई। तब से शेफाली खामोश और उदास रहने लगी। कुछ दिनों तक शेफाली का ऐसा व्यवहार देख मौसी ने उससे पूछा कि वह किस बात से परेशान है। तब शेफाली ने पूरी घटना सुनाई और रघु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने पर शेफाली पूरी तरह टूट गई क्योंकि उसे यह महसूस हो रहा था कि उसका बचपन बर्बाद हो गया। उसे महिला पुलिस अधिकारियों का पूरा भावनात्मक सहयोग मिला। उसे आश्वासन दिया गया कि उसकी पूरी देखभाल की जायेगी और न्याय दिलाया जायेगा। जब मामला हमारे सामने आया तो हमने रघु को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अब लगभग एक साल हो गया है, रघु को जमानत नहीं मिली है और वह अब भी सलाखों के पीछे है।

इस बड़ी जिम्मेदारी के रूप में, यह सुनिश्चित करना हमारे हाथ में है कि सभी को न्याय मिले और शेफाली जैसे बच्चों को क्रूरताओं से बचाया जा सके। कानूनों में संशोधन करना, कानून बनाना, नई नीतियों और प्रणालियों को व्यवहार में लाना हमारे

हाथ में नहीं है लेकिन समाज को न्याय प्रदान करने के लिए पूरे दिल से काम करना, निश्चित रूप से हमारे ही हाथ में है। बच्चों और उनके बचपन की रक्षा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है।”

हेमलता शर्मा  
एस.आई., वैशाली नगर पुलिस स्टेशन  
जयपुर

\*वास्तविक नाम बदले गए हैं।

## केस स्टडी

कैलाश\* एक 11 साल का बालक था जिसने अपने माता-पिता को खो दिया था। उसकी परवरिश उसकी बहन और जीजाजी ने की थी। उसके जीजाजी ने उसे बाल श्रमिक के रूप में काम करने के लिए हरीश\* नाम के व्यक्ति के साथ जयपुर भेज दिया। वहां उसे नियोक्ता द्वारा पीटा गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। कुछ दिनों बाद, वह वहां से भागने में सफल हो गया। वह रेलवे स्टेशन पहुंचा और स्टेशन पर बाल संरक्षण सेवाओं के माध्यम से उसे 'टाबर' संस्थान भेजा गया। बालक के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। उसके साथ हुई शारीरिक हिंसा के कारण वह बहुत भयभीत और खामोश था। उसके कई काउंसलिंग सत्र किए गए लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। धीरे-धीरे उसे कुछ अन्य सत्र दिये गए। प्ले थेरेपी और टॉय थिएटर गतिविधियों के सत्रों में उसने बोलना प्रारंभ किया और टाबर के सहयोगियों और अन्य बच्चों के करीब आने लगा। उसने उन स्थितियों के बारे में बताया जिसमें उसे काम करना पड़ रहा था और शारीरिक शोषण झेलना पड़ा था। उसकी चोटें गहरी थीं, इसलिए उसे तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। उसके सम्पूर्ण स्वास्थ्य विकास के लिए उसे निरंतर चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया। विभिन्न स्थितियों और गतिविधियों में उसके द्वारा किये जाने वाले व्यवहार के आधार पर उसके लिए देखभाल योजना बनाई गई। उसके मामले में प्ले थेरेपी ने चमत्कारिक असर किया, जिसके कारण वह प्रतिदिन बेहतर होता गया। उसके बालश्रम में जाने और शारीरिक शोषण की शिकायत डी.एल.एस.ए. में जाकर की गई व, 164 का बयान दर्ज किया गया। यह मामला वर्तमान में अदालत में चल रहा है। हरीश को बाल श्रम और यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया था। धारा 344, 370, 374, 75, 79, 3 और 4 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

रमेश पालीवाल  
टाबर, जयपुर

\*वास्तविक नाम बदले गए हैं।

## अभावाङ्किलप

### स्कूली बच्चों को यौन शोषण के बारे में सिखाने के लिए 'अच्छे स्पर्श, बुरे स्पर्श' पर कॉमिक बुक<sup>1</sup>

**11 अगस्त 2019** : उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह परिलक्षित हुआ है कि कम से कम 53 प्रतिशत बच्चे यौन शोषण के शिकार होते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को अच्छे स्पर्श, बुरे स्पर्श और यौन शोषण के बारे में सिखाना बहुत मुश्किल है। एक एनजीओ 'Our VOIX' ने एक कॉमिक बुक लॉन्च की है जिसके माध्यम से स्कूल के बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता भी बच्चों पर होने वाले आघातों को समझ पायेंगे। इसमें बाल अधिकारों और शरीर में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को सचित्र स्पष्ट किया गया है। इसमें आम कार्टून चरित्र शामिल हैं जिसमें किसी भी हमले के मामले में बच्चों द्वारा उठाये जाने वाले कदमों को भी चित्रित किया गया है।

<sup>1</sup><https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/features/good-touch-bad-touch-comic-book-to-teach-city-schoolkids-about-sexual-abuse/articleshow/70628203.cms>

नितम्बर - 2019 अंक : 16

## यौन उत्पीड़न की परिभाषा का विस्तार : बाल दुर्व्यवहार कानून में मृत्युदंड का समावेश<sup>3</sup>

**18 सितम्बर 2019** : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लैंगिक अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए लैंगिक-तटस्थ अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। अब इस कानून में बच्चों के साथ बढ़ रहे यौन-उत्पीड़न के मामलों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। इस कानून के माध्यम से चपेट में आने की आशंका वाले बच्चों के हितों व कल्याण की सुरक्षा करने की मांग रखी गई है।

### सेंटर-इन-एक्शन

#### बाल संरक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स की तीसरी सम्पर्क कक्षा

सर्टिफिकेट कोर्स की तीसरी दो दिवसीय सम्पर्क कक्षा 28 और 29 सितम्बर 2019 को सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के सैटेलाइट कैंपस, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में हुई।

#### 21 सितम्बर 2019 को जयपुर में श्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण का लक्ष्य सेवारत लेबर इंस्पेक्टरों और अन्य संबंधित अधिकारियों की क्षमता का विकास करना था ताकि जिला बाल श्रम टास्क फॉर्स में शामिल की जाने की, बचाये गये बच्चों का मुआवजा सुनिश्चित करने व निवारक उपाय करने की रणनीति बनाई जाये। सत्रों को बाल श्रम के मुद्दों और बाल श्रम के मामलों के निस्तारण में श्रम विभाग के सामने आने वाली चुनौतियों पर केंद्रित करते हुए, कानूनी ढांचे को ध्यान में रखकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं में डॉ. हेलेन सेकर, वरिष्ठ संकाय सदस्य, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, दिल्ली, उप-मुख्य श्रम आयुक्त डॉ. ओंकार शर्मा और संयुक्त श्रम आयुक्त श्री प्रदीप कुमार झा थे।

#### 19 सितम्बर 2019 को सीसीपी जयपुर में 'पुनर्स्थापन न्याय' पर सत्र

केंद्र में 'पुनर्स्थापन संबंधी न्याय' पर एक संवादात्मक और ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किया गया। एक डच एन.जी.ओ. 'ओ पी क्लेन स्कॉल' के निदेशक 'श्री रॉबर्ट वान पेजे' इस विषय पर ज्ञानवर्धक विचारों को सीसीपी टीम के साथ बांटने के लिये सेंटर आये। उन्होंने नीदरलैंड और न्यूजीलैंड में अपनाई गई सवोत्तम प्रथाओं के बारे में चर्चा की। चर्चा में सीसीपी के सभी संकाय सदस्यों ने भाग लिया।

#### 17 से 20 सितम्बर 2019 तक चुरु में क्षमतावर्धन कार्यक्रम

बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (सीडब्ल्यूपीओ), एंटी-ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) के अधिकारियों, विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपीओ), एसएचओ और सीएलजी के सदस्यों के लिए 'बालमैत्रीपूर्ण पुलिसिंग' पर एक प्रशिक्षण राजस्थान के चुरु में 17 से 20 सितम्बर 2019 तक आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को बाल संरक्षण के विभिन्न कानून, बाल मनोविज्ञान, बाल संरक्षण के मुद्दों जैसे बाल-विवाह और बाल श्रम आदि पर प्रशिक्षित किया गया।

#### जैसलमेर में 3 से 6 सितम्बर 2019 तक क्षमतावर्धन कार्यक्रम

3 से 6 सितम्बर 2019 तक सीडब्ल्यू एएचटीयू के अधिकारियों, विशेष लोक अभियोजकों, एसएचओज् और सीएलजी के सदस्यों के लिए 'बाल मैत्रीपूर्ण पुलिसिंग' पर एक सह-क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बाल विकास और मनोविज्ञान, विभिन्न बाल संरक्षण कानून, कानूनी ढांचे और उपचार आदि के बारे में चर्चा की गई। इन सत्रों के प्रमुख वक्ता डीएलएसए सदस्य सचिव, सुश्री प्रज्ञा देशपांडे, सलाहकार-यूनिसेफ और श्री धीरज वर्मा थे।

#### 01 सितम्बर 2019 को जयपुर में बालश्रम के मामलों में दोषसिद्ध ट्रेफिकर्स /नियोक्ताओं पर परामर्श

यह कार्यक्रम न्यायाधीशों को बाल श्रम के दोषसिद्धों की स्थितियों और चुनौतियों, बाल श्रम से संबंधित योजनाओं और संबंधित विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लक्ष्य से किया गया था। आयोजन में विशेष वक्ता के तौर पर फ्रीडम फंड से श्री रवि प्रकाश, एडीजे, उदयपुर श्री महेंद्र दवे, एडीजे, जयपुर श्री मधु सुदन मिश्रा, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक सुश्री प्रज्ञा देशपांडे और प्रयास से सुश्री तुशिका थे।

<sup>3</sup><https://indianexpress.com/article/india/death-included-in-child-abuse-law-sexual-assault-definition-widened-5824328/>

## 09 अगस्त 2019 को जयपुर में सेफ स्कूल प्रोग्राम पर प्रशिक्षण और अभिविन्यास

‘सेफ स्कूल प्रोग्राम’ पर एक दिवसीय प्रशिक्षण 9 अगस्त 2019 को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित किया गया। प्रतिभागियों में पुलिस विभाग, एनएसएस, यूनिसेफ और रूबरू, गुजरात के प्रतिनिधि शामिल थे। इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को सुरक्षित स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक करना था। सत्रों में बाल मनोवैज्ञानिक श्री दीपक तेरईया और आर. पी.ए. के प्रशिक्षक श्री धीरज वर्मा ने प्रशिक्षण दिया।

## 26 जुलाई को जयपुर में बालश्रम के मामलों में दोषसिद्ध ट्रैफिकर्स / नियोक्ताओं के विषय में वकीलों के साथ परामर्श

इस परामर्श का आयोजन बालश्रम की दोषसिद्धि की स्थिति और उसमें वकीलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया। बंधुआ मजदूरों से संबंधित योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं पर भी चर्चा की गई। प्रयास और टाबर जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने बालश्रम के केसों के जीवन इतिहास, जांच दृष्टिकोण, मामले की प्रगति, विभिन्न चुनौतियों का सामना किया जाना और पुनर्वास के विषय में चर्चा की। अन्य सत्रों में वकीलों को बालश्रम व अन्य कानूनी प्रावधानों के विषय में प्रशिक्षित किये जाने में एस.एल.एस.ए. की भूमिका पर चर्चा की। डीएलएसए सचिव ने इस विषय पर ज्ञानवर्धक जानकारी दी।

## ट्रैफिकर्स / नियोक्ताओं पर अभियोग सुनिश्चित करने और दोषसिद्ध पर एचटीयूज और एसजेपीयूज का 16-17 जुलाई 2019 को पटना में प्रशिक्षण

प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनों पर उचित प्रक्रियाओं और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बाल अनुकूल प्रक्रियाओं के अनुपालन करने की ओर उन्मुख करने के लिए 16 और 17 जुलाई को पटना में दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के सत्र बाल संरक्षण, बाल संरक्षण के मुद्दों, बाल तस्करी और संबंधित मॉडल प्रथाओं के कानूनी पहलुओं पर केंद्रित थे। राजस्थान और बिहार के बीच समन्वय को मजबूत करने की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। इस आयोजन के प्रमुख वक्ता, आईजी, कमजोर वर्ग, बिहार, श्री धीरज वर्मा, ट्रेनर-आरपीए, जयपुर, एडीजी-सीआईडी, बिहार, एसपी-कमजोर वर्ग, बिहार, श्री सुरेश-एचएलएन, श्री के.डी. मिश्रा, भूतपूर्व जेजेबी सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, बिहार, श्री सुबीर राय, भूतपूर्व सदस्य-शक्ति वाहिनी और फ्रीडम फंड से श्री रवि प्रकाश थे।

## चित्रशाला



21 सितम्बर को जयपुर में आयोजित श्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण में डॉ. ओंकार शर्मा, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर बालश्रम के मुद्दे और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए



19 सितम्बर को 'पुनर्स्थापन न्याय' पर सत्र समाप्ति के बाद श्री रॉबर्ट वान पेजे व सीसीपी टीम



17-20 सितम्बर के दौरान चुरू में आयोजित प्रशिक्षण में सुश्री तेजस्विनी गौतम, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक चुरू, बाल संरक्षण में पुलिस की भूमिका पर चर्चा करते हुए



03-06 सितम्बर के दौरान जैसलमेर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाल दुर्व्यवहार और संबंधित बाल संरक्षण के मुद्दों पर आयोजित सत्र



01 सितम्बर को बालश्रम आधारित परामर्श में श्री महेन्द्र दवे, एडीजे, उदयपुर और श्री मुधसुदन मिश्रा एडीजे, जयपुर बालश्रम पर चर्चा करते हुए।



09 अगस्त को सेफ स्कूल प्रोग्राम के तहत आयोजित प्रशिक्षण में श्री दीपक तेरईया द्वारा बाल विकास और बाल मनोविज्ञान पर आयोजित सत्र



26 जुलाई को आयोजित बालश्रम आधारित परामर्श में 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका' पर जारी सत्र



पटना में 16-17 जुलाई तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सत्र के दौरान, श्री धीरज वर्मा की प्रशिक्षण के प्रतिभागियों के साथ एफ आई आर के प्रारूप पर चर्चा



Twitter: [https://twitter.com/CCP\\_jaipur](https://twitter.com/CCP_jaipur)



Facebook: <https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/>

## ‘सेतु’ सलाहकार बोर्ड

### डॉ. राजीव गुप्ता

पूर्व प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर  
अध्यक्ष, सेतु सलाहकार बोर्ड

### डॉ. संजय निराला

बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ

### डॉ. मंजू सिंह

विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान विभाग,  
वनस्थली विश्वविद्यालय

### श्री के.के. त्रिपाठी

वरिष्ठ सलाहकार-सीसीपी

### श्री राधाकान्त सक्सेना

आईजी कारवास (रिटायर्ड)

### संपादक

### अदिति व्यास

कन्सल्टेंट-रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, सीसीपी जयपुर

### योगदान व सहयोग

### सीसीपी टीम

हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों के संबंध में अपने ज्ञान में बढ़ोत्तरी करने के लिए बाल संरक्षण का एक अल्पकालीन कोर्स करें।

सीसीपी के बारे में और सेंटर द्वारा प्रस्तावित कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट देखें:

<http://www.centreforchildprotection.org>

आप हमें इस नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं : +91 8619672924

हम अपने पाठकों से भी आर्टिकल, लेख, केस स्टडीज़, सफलता के किस्से, सुझाव इत्यादि आमंत्रित करते हैं। कृपया अपनी प्रविष्टियाँ आप इस ईमेल पते पर भेजें : [writetoccpjaipur@gmail.com](mailto:writetoccpjaipur@gmail.com)



# Newsletter Setu

Dedicated to Child Protection  
by Centre for Child Protection (CCP)



September 2019 • Edition 16



## Child Abuse and Neglect

From The

### *Director's Desk*



#### Highlights of the Edition

- Understanding Child Abuse & Neglect
- Risk Factors
- Signs & Consequences
- Prevention of Abuse & Neglect
- Case Studies
- News Clips
- Activities of the Quarter

Children being sensitive and in their impressionable years are prone to vulnerabilities everywhere and at all levels. They are at risk not only at the institutions outside, but are susceptible to maltreatment and abuse in family too. Neglect starts in family and is said to happen when even the basic needs of the children are not met or because their participation in various interactions and decision-making processes are ignored. This may also happen due to lack of parent-child bonding causing unwarranted confusion and wrong inferences being drawn by the child. In some other situations, a child is sometimes abused and neglected in family, neighbourhood, etc. within his/ her own space. Being innocent, they are unable to understand the kind of behaviour they experience and related causes and consequences. As a result, what they develop is a weak, sometimes deviant personality, aggressive psyche and socio-cultural maladjustments.

Centre for Child Protection is committed to analyse all issues related to child in general and child abuse and neglect in particular. Child abuse and neglect, if, allowed to perpetuate, then deviant attitude can penetrate in the society which may convert in to criminal behavior in future and cause many complexities. In fact, criminality can be treated to an extent as a consequence of child abuse and neglect. Thus, for perpetuating peace, non-violence and harmony as core values of society, there is an essential need to frame sets of strategy, for minimizing or eradicating child abuse and neglect. In Indian classical texts, child has been accepted as a representative of Divinity. Thus, to abuse and neglect a child means to an extent, to abuse and neglect Divinity and Indian Philosophical traditions which no one can accept. Hence, in this context, sensitization of Police and other outcomes for controlling the acts of Child Abuse and Neglect, become the need of the hour. The multidimensional attention in this area must be made by all sections of the Nation- State.

This issue of the newsletter focuses on the concept of Child Abuse and Neglect, its recognition, the associated risks, consequences and prevention. The present edition also brings for the readers, success stories in the same regard highlighting the ways by which a sensitive and complex issue was dealt with. We hope that through this kind of dissemination, collectively we shall be able to pave way for the reformative measures to be adopted in the society, socially, culturally and legally. If State and society by making collective efforts are able to minimize child abuse and neglect, it will be a true tribute to father of the Nation at his 150th birth anniversary.

**Rajeev Sharma (IPS)**  
Director, Centre for Child Protection, Jaipur.

## Understanding Child Abuse & Neglect

Child abuse refers to maltreatment with children in the form of behavioural and verbal expression. Neglect of child refers to avoidance of child by another actor(s) present in the space. Sometimes a child, based on earlier experiences, feel the phenomenon of intentional avoidance. In the first place, it is important to know and understand that child abuse and neglect are not only physical. These are the forms of maltreatment which may be psychological and cultural as well.

As abuse can be physical and emotional, so is neglect. Physical neglect refers to deprivation of food, clothes, shelter and other basic needs. The emotional abuse refers to depriving a child of love, affection, care, safety & security and parent-child bonding. Neglect goes far beyond when the children are not provided with proper basic amenities such as food, clothing, shelter and medical facilities in times of need. This happens as a resultant of failure of both or either of the parents. To be precise, commitment of any act or a failure to react to any act that results into a child's physical or emotional neglect. Any kind of harm to the child or posing any risk of harm to the child, is referred to as child abuse and neglect. Child abuse and neglect also includes abandonment of the child, trafficking or indulgence of parents into substance abuse. The concept, on the part of parents, includes use of harsh words with children, asking other caregivers or the teachers to be strict with the child in terms of physical behaviour, perceive the child as burdensome & lack of concern and affection, etc. These are some of the important indicators to take care of the children in order to make sure that they are not maltreated at domestic front, at least.

### Risk Factors Linked to Abuse and Neglect

Child abuse is, by and large violation of constitutional principles and legal provisions but as far as child neglect is concerned, it is basically psycho-cultural and group specific. However, the incidences of abuse and neglect, mostly, happen at home. It starts with the family wherein the children are not paid desired attention and their needs are not met, they are not heard, and are abused as well as neglected physically and mentally. Sometimes they are beaten or punished severely to express particular kinds of behaviour/ code of conduct/ practice in them to be followed. The psychological and behavioural impact of abuse and neglect are often more intense than the physical ones and have a long-term impact on the lives of children. The marks of such injuries remain till the later stages of life, until they turn late adults. Children with parents having a history of childhood abuse, unhealthy state of mind, domestic violence are some of the major risk factors associated with it.

### Signs and Consequences of Abuse and Neglect

It is difficult to recognize whether a child has been abused or neglected or not. In many occasions, there is neither any physical nor emotional signs of any maltreatment done with the child. In cases when it starts from early age of the child, the children get habitual to it and often adapt it as a common behaviour. These children are not able to understand that they are going through a phase of vulnerability where they are not only being deprived of their basic rights but are also being injured. Some matters are reported while most are not. Since, the very first institution that lands the child in such vulnerability is his/ her family itself, the matters are suppressed; either by the child himself/ herself or by the parents/ other family members. There may, still be some physical signs or behavioural changes that reflect that the child is in a state of distress or trauma. These signs may be classified as under:

### Physical Signs

- Major or minor injury on any part of the body
- Unexplained marks on the body
- Abnormal body weight gain or loss and
- Sexually transmitted diseases

### Behavioural Signs

- Bed-wetting despite toilet training
- Absenteeism in school
- Weak concentration or poor grades in school
- Dislike for people/ places
- Irritability
- Sudden emotional outburst
- Nightmares or abnormal fears
- Fearfulness, anxiety, depression or suicidal tendency in some cases
- Lack of self-confidence and
- Social withdrawal

The recognition of maltreatment with children in the form of abuse and neglect are not limited to the above-mentioned symptoms and consequences. It is also a probability that a child does not demonstrate any symptom at all but still is victimised. In such cases, the child only shares with the person whom he completely confides in.

**Consequences of Abuse:** The consequences of abuse are short term as well as long term. Short term consequences often result into temporary behaviour which fades away in a short span of time. While long term consequences may make impact on the well-being and personality of the child. There may be lifelong implications of the childhood trauma as it never heals. The children who are maltreated, may experience delays in cognitive, emotional and physical development. They also tend to develop emotional difficulties as a result of which the lives of those surrounded by the maltreated child are also affected. Forms of psychological disturbances such as anxiety, stress, lack of emotional bonding, depression, etc. are also the likely factors as consequences of abuse and neglect with children. Children are tender and tend to play the role of their parents, imitate them in terms of how they speak, words they use, ways to handle any situation, their reactions in any situation and the like. Hence, carrying the trauma and burden of maltreatment in the early stages of life, children replicate the ‘observed’ behaviour.

### Prevention of Abuse and Neglect

Abuse and neglect with children are very crucial factors for harming their healthy physical and emotional development. Children’s lives are moulded by their personal experiences and by their domestic environment. Issues such as these, pose serious threats not only with the affected children but also the society. However, they may be prevented through following strategies :

September 2019 • Edition 16

- Formulation and adoption of strong legislative approaches
- Behavioural training programmes for parents
- Engagement of parents at school level
- Effective medical care
- Counselling of parents
- Increased exposure of children to the society
- Providing mental health services to parents and neglected children
- Ensuring access to education, shelter, clothing, food and medical services to children
- Efforts to address social problems such as substance abuse, poverty, etc.
- Educating the masses about child abuse and neglect, and its cause-effect relation
- Building support systems for parents so that they may be counselled and provided rehabilitative support

### When a Child Talks About Abuse

- Listen carefully to him/ her
- Do not interrupt the child
- Be empathetic and encourage them to speak
- Tell them that it is not their fault
- Assure them by telling that you will help and support them
- Don't blame him/her for anything
- Report the incident

### Case Study

“Shefali\* aged about 14 years, was abandoned by her parents in early childhood. She used to stay with a lady in their locality whom she called aunty. In the same locality, lived a man Raghu\*, aging about 22 years who knew Shefali well. One day, Shefali’s aunty had gone somewhere out. Raghu came to know that Shefali was alone at home. He came to her house and raped her because of which she got pregnant. Since then, Shefali remained quiet and sad. Upon observing her behaviour for a few days, her aunty asked her to share what was troubling her. It was then, Shefali narrated the whole incident and lodged a complaint against Raghu. Shefali was completely shattered when the complaint was registered as she could well realize that her childhood had ruined. She was emotionally supported by the women police officers and was assured that she will be taken care of and justice will be given to her. When the case came to us, we arrested Raghu and presented him before the Magistrate and he was arrested with immediate effect. It has been about a year now that Raghu has not been given bail and is still behind the bars.

As the barriers of this huge responsibility, it is in our hands to make sure that everyone gets justice and young children like Shefali may be protected from such cruelties. Amending the laws or formulating and bringing into practise new policies and systems is not in our hands, but working whole heartedly for providing justice to the society, definitely is. It is our major responsibility to protect children and their childhood, in the first place”.

**Hemlata Sharma**  
**SI, Vaishali Nagar Police Station**  
**Jaipur**

\*Actual Names Changed

## Case Study

Kailash\* was an eleven-year-old boy who had lost his parents. He was raised by his sister and brother-in-law. His brother-in-law sent him to Jaipur with a person named Harish\* for working as a child labour. There he was beaten and sexually molested by the employer. In a few days' time, he somehow managed to run away from there. He reached railway station and through child protection services at the station, he was sent to TAABAR. The boy had injury marks all over his body. Because of the physical violence done to him, he was very silent and frightened. Multiple counselling sessions were arranged for him but he did not share anything. Gradually, in few more counselling sessions, play therapy and toy theatre activity sessions, he began to speak and came closer to the staffs and other children. He narrated about the conditions he was made to work in and the physical abuse and exploitation he had suffered. He bruises were deep, so, was soon provided medical assistance. For his well being and overall healthy development, he was kept under constant medical supervision. His behaviour in different situations and activities was observed on the basis of which, a day care plan was developed for him. In his case, play therapy did wonders because of which he got better each day. His case of child labour and molestation was reported to DLSA and 164 statement was recorded. Currently the case is active in the court. Harish was arrested for employing a child into work and for his sexual molestation. A FIR under Section 344, 370, 374, 75, 79, 3 and 4 was registered.

**Ramesh Paliwal**  
**TAABAR, Jaipur**

\*Actual Names Changed

## News Clips

### Comic Book on Good Touch Bad Touch to Teach School Kids About Sexual Abuse<sup>1</sup>

11th August 2019: As per the data available, it is reflected that at least 53% of the children have been victimised of sexual abuse. It is very difficult to teach about good touch bad touch and sexual abuse. An NGO 'Our VOIX' has launched a comic book through which the school children along with their parents would be able to understand the assaults with children. It has pictorial representations of child rights and body changes. It contains common cartoon characters through which the actions to be taken by the children in case of any assault have also been depicted very clearly.

### Widening of Sexual Assault Definition: Inclusion of Death in Child Abuse Law<sup>2</sup>

18th September, 2019: The Union Cabinet recently approves the amendments to the gender-neutral Act for the Protection of Children from Sexual Offences. It now, has provisions for death penalty for cases of aggravated penetrative sexual assault with children. The interests and welfare of vulnerable children have been intended to be protected through this step.

## Centre-In-Action

### Third Contact Class of Certificate Course in Child Protection

The third full day contact class of the Certificate Course on 28th & 29th September, 2019 was

<sup>1</sup><https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/features/good-touch-bad-touch-comic-book-to-teach-city-schoolkids-about-sexual-abuse/articleshow/70628203.cms>

<sup>2</sup><https://indianexpress.com/article/india/death-included-in-child-abuse-law-sexual-assault-definition-widened-5824328/>

commenced at Centre for Child Protection, Satellite Campus of SPUP, Rajasthan Police Academy, Jaipur.

### **Training of Labour Officers at Jaipur on 21st September, 2019**

The purpose of the training was to build the capacity of in-service labour Inspectors and other concerned officials on developing strategies to be involved in District Child Labour Task Force, ensure entitled compensations to rescued children and take preventive measures. The sessions were focussed on discussing the issues of child labour and the challenges faced by the Labour Department dealing with cases of Child Labour, while addressing the legal framework. The key resource persons for the programme were Dr. Helen Sekar, Senior Faculty Member, V.V. Giri National Labour Institute, Delhi, Dr. Onkar Sharma, Dy. Chief Labour Commissioner and Shri Pradeep Kumar Jha, Joint Labour Commissioner.

### **Session on 'Restorative Justice' at CCP Jaipur on 19th September, 2019**

An interactive and enlightening session on 'Restorative Justice' was conducted at the Centre. Mr. Robert Van Patee, Director- OP Kleine Schall, a Dutch NGO, has visited the Centre to share with CCP team the insightful thoughts on the concept. He also discussed about the best practices adopted in the Netherlands and New Zealand. All faculty members of CCP participated in the discussion.

### **Capacity Building Program at Churu from 17th to 20th September, 2019**

A training cum capacity building programme on 'Child Friendly Policing' was organised for Child Welfare Police Officers (CWPOs), Officials from Anti-Human Trafficking Unit (AHTU), Special Public Prosecutors (SPPs), SHOs and CLG members from 17th to 20th September 2019 at Churu, Rajasthan. The participants were trained on critical issues pertaining to Child Protection, such as Child Psychology, different Laws related to Child Protection, Issues of Child Protection like Child Marriage & Child Labour, etc.

### **Capacity Building Program at Jaisalmer from 03th to 06th Sept. 2019**

A training cum capacity building programme on 'Child Friendly Policing' was organised for CWPOs, AHTU Officials, SPPs, SHOs and CLG members from 03rd to 06th September 2019. In the sessions child Development & Psychology, various Child Protection Laws, Legal framework & remedies etc. were discussed. The key resource persons for the sessions were Ms. Pradnya Deshpande, Member Secretary-DLSA, Consultant- UNICEF and Mr. Dheeraj Verma.

### **Consultation on Conviction of Traffickers/ Employers in Cases of Child Labour at Jaipur on 01st September 2019**

The programme was conducted with the objective to acquaint the judges on the situations and challenges in the conviction of child labour, discuss the salient features of schemes related to child labour. Shri Ravi Prakash from Freedom Fund, Shri Mahendra Dave, ADJ, Udaipur and Shri Madhu Sudan Mishra, ADJ Jaipur, Senior Psychologist Ms. Pradnya Deshpande and Ms. Tushika from Prayas were the resource persons.

### **Training and Orientation on the Safe School Programme at Jaipur on 09th August, 2019**

A one-day training on 'Safe School Programme' was conducted on 09th August 2019 at Rajasthan Police Academy, Jaipur. The participants represented the Police Department, NSS, UNICEF and Rubaroo, Gujarat. The objective was to sensitise the police personnel about various aspects of safe schooling. Sessions were facilitated by Child Psychologist Mr. Deepak Teraiya and Mr. Dheeraj Verma, Trainer- RPA.

### Consultation with Lawyers on Conviction of Traffickers/ Employers in Cases of Child Labour at Jaipur on 26th July, 2019

The consultation was organised to orient the lawyers regarding situations and challenges in the conviction of child labour. Salient features of schemes related to Bonded Laborers, were also discussed. The NGOs like Prayas and TAABAR discussed the life history of child labour cases, the investigation approach, case progression, various challenges faced and rehabilitation. In other sessions, role of SALSA in training lawyers on child labour laws and other key legal provisions were discussed. The Secretary-DLSA gave enlightening insights on the issue.

### Training of AHTUs & SJPU's on Ensuring Prosecution & Conviction of Traffickers/ Employers Held at Patna on 16th & 17th July, 2019

Atwo-day training was held at Patna on 16th and 17th July 2019, for orienting the participants about due procedures on different laws and complying with child friendly procedures during entire judicial and legal process. The sessions were on child protection, legal aspects of child protection issues, child trafficking & related model practices. Strategies to strengthen coordination between Rajasthan and Bihar were also discussed. The key resource persons in the event were IG- Weaker Section, Bihar, Mr. Dheeraj Verma, Trainer-RPA Jaipur, ADG-CID Bihar, SP- Weaker Section, Bihar, Mr. Suresh, HLN, Mr. K.D. Mishra, Ex-JJB Member, Senior Advocate, Bihar, Mr. Subir Roy, Ex-Member- Shakti Vahini and Mr. Ravi Prakash from Freedom Fund.

#### Picture Gallery



Dr. Onkar Sharma, Dy. Chief Labour Commissioner sharing about the issues and challenges of Child Labour in training of labour officers at Jaipur on 21st Sep. 2019



Mr. Robert Van Patee and CCP team, after a session on 'Restorative Justice' at CCP office on 19th Sep. 2019



Ms. Tejaswini Gautam, IPS, SP, Churu, discussing the key roles of Police Personnel in the Context of Child Protection in training program organised in Churu 17th-20th Sep. 2019



Ongoing Session on Child Abuse and Related Issues of Child Protection in training program organised in Jaisalmer during 03rd to 06th Sep. 2019



Insights on Child Labour given by Shri Mahendra Dave, ADJ, Udaipur and Shri Madhu Sudan Mishra, ADJ, Jaipur in consultation organised on conviction of traffickers organised at Jaipur on 01st Sep. 2019



Session on Child Development & Child Psychology by Mr. Deepak Teraiya in 'Safe School Program' Training conducted at RPA, Jaipur on 09th Aug. 2019



Ongoing session on 'The Role of SLSA in the consultation with Loweres regarding child labour cases at Jaipur on 26th July, 2019



Shri Dheeraj Verma discussing about the format of FIRs with the training participants during the session in training program for AHTUs & SJPU's at Patna on 16th & 17th July, 2019

 [Twitter: https://twitter.com/CCP\\_jaipur](https://twitter.com/CCP_jaipur)  [Facebook: https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/](https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/)

### 'SETU' Advisory Board:

**Dr. Rajiv Gupta**

Former Professor,  
University of Rajasthan, Jaipur  
Chairperson, SETU Advisory Board

**Dr. Manju Singh**

Head, Deptt. of Sociology,  
Banasthali University

**Mr. Radhakant Saxena**

IG Prisons (Retd.).

**Dr. Sanjay Nirala**

Child Protection Specialist, UNICEF

**Mr. K.K. Tripathy**

Sr. Consultant-CCP

**Editor**

**Ms. Aditi Vyas**

Consultant-Research &  
Documentation, CCP Jaipur

### Contribution & Support CCP Team

We encourage readers to do a short course in Child Protection to enhance your understanding on child protection issues. To know more about CCP and the courses offered by the centre, please visit our website:

<http://www.centreforchildprotection.org>  
Feel free to contact us at: +91 8619672924

We invite articles, case studies, success stories, suggestions, etc. from the readers. Please send your contributions to:  
[writetoccpjaipur@gmail.com](mailto:writetoccpjaipur@gmail.com)